न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 4 / 2019 जिला सीकर

बन्शी पुत्र चन्द्रा उर्फ दुला, जाति जाट, निवासी महरोली गुढा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. अर्जुन लाल
2. मोहन लाल
3. बजरंग लाल
4. रामसिंह

   पुत्रान मंगला राम, जातियान जाट, निवासीयान गुढा तन ग्रम जैतुसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
5. सुन्दरी बेवा मंगला राम, जाति जाट, निवासी गुढा तन जैतुसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
दिनांक 19.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.आर.शर्मा

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनक – 21.8.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.6.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यहं कि रेस्पोंडेन्ट्स अर्जुन लाल वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 850 जिसके नवीन खसरा नम्बर 1796, 1799 तन ग्रम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थित है जिसकी खातेदारी सैटलमेन्ट से दूला, चन्द्रा, नून्दा पिता बिरदू के नाम संवत 2024 से 2027 एवं 2028 से 2031 तक दर्ज रही तथा संवत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में मंगला पुत्र दूला के नाम खातेदारी सही रूप से दर्ज हुई । मंगलाराम पुत्र दूला के नाम के साथ बंशी का नाम गलत रूप से बिना किसी हक अधिकार व बिना किसी नामांतरकरण के द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान दर्ज किया गया, जो संवत 2042 की जमाबन्दी में दर्ज है , जिसे हटाया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्रम महरोली तहसील श्रीमाधापुर, जिला सीकर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम

पूर्ववत् प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2018 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम खातेदारी पूर्ववत प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यक्ति होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधेपुर दिनांक 19.6.2018 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभ्यपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 के खातेदारों में अपीलान्ट के नाम का अंकन होना अंकित किया है , लेकिन अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलान्ट जो विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित आराजी अपीलान्ट ने सम्पत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह से दिनांक 29.7.2002 को कय की थी जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को प्रारम्भ से ही थी , लेकिन तथ्यों को छिपाते हुये गलत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कराया है , जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधी में नहीं था । धारा 136 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को बिना सुने व उसकी बिना सहमति के उसके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते तथा इसके तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों को पक्षकारों को सुनने के बाद ही दुरूस्त किया जा सकता है, लेकिन् अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से खातेदारी समाप्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार विहीन है । उनका कहना था कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत व संबंधित तहसीलदार से विरासत बाबत किसी प्रकार की जॉच रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी । रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से लोक अदालत में केवल रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अपीलधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल

अजमेर के समक्ष निगरानी बंन्शी बनाम अर्जुन लाल पेश हुई थी, जो निर्णय दिनांक 28.12.2018 से निरस्त हो गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 850 जिसके नवीन खसरा नम्बर 1796, 1799 तन ग्रम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित है जिसकी खातेदारी सैटलमेन्ट से दूला, चन्द्रा, नून्दा पिता बिरदू के नाम संवत 2024 से 2027 एवं 2028 से 2031 तक दर्ज रही तथा संवत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में मंगला पुत्र दूला के नाम खातेदारी सही रूप से दर्ज हुई । मंगलाराम पुत्र दूला के नाम के साथ बंशी का नाम गलत रूप से बिना किसी हक अधिकार व बिना किसी नामांतरकरण के द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान दर्ज किया गया, जो संवत 2042 की जमाबन्दी में दर्ज है , जिसे हटाया जाना न्यायोचित होने से रेस्पोंडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्रम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम के नाम पूर्ववत् प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2018 पारित कर रेस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्रम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम खातेदारी पूर्ववत प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि धारा 136 एल.आर.एक्ट में राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार उप खण्ड अधिकारी को है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि मंगलाराम पुत्र दूला के नाम के साथ अपीलान्ट बंशी का नाम द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान संवत 2042 की जमाबन्दी में दर्ज होने से उसे हटाये जाने के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2018 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्रम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम खातेदारी पूर्ववत प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट बंशी पुत्री दूला राम का नाम ग्रम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित विवादित

आराजी की जमाबन्दी संवत 2042 में दर्ज होने से वह रिकार्डेड खातेदार था एवं किसी भी खातेदार की खातेदारी उसे बिना सुने समाप्त किया जाना न्याय की श्रेणी में नहीं है । अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार था जिसे न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया गया एवं न ही उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2018 अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये पारित कर रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम खातेदारी पूर्ववत प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तीय है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति था जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । इसी परिपक्ष्य में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 19.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर